



Office of the Commandant, 16<sup>th</sup> BN  
Indo Tibetan Border Police Force,  
MHA/Govt. of India  
C/O 56 APO  
Leh, Ladakh (UT)-194101  
Telephone No.-(01982) 264600  
Fax-264911  
Email-itcell16thbn@itbp.gov.in

संख्या-1/भा.ति.सी.पु./16वीं वा/स्था-02/अनुपस्थित (नितेश कुमार)/2023 - 5623 दिनांक-14-08-24

### //कारण बताओ नोटिस//

16वीं वाहिनी, भा0ति0सी0 पुलिस के 'प्रबन्धक' समवाय में तैनात दल संख्या-157030075 कांस्टेबल(टेलर) नितेश कुमार, प्रबन्धक समवाय, 16वीं वाहिनी, भा0ति0सी0 पुलिस को दिनांक 04.01.2024 से 12.02.2024 तक 40 दिन अर्जित अवकाश पर भेजा गया था तथा अवकाश समाप्ति के उपरान्त दिनांक 12.02.2024 (अप्रा0) को अपनी आमद आवागमन शिविर/वाहिनी मुख्यालय, 16वीं वाहिनी में देनी थी किन्तु कर्मी बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति से अनुपस्थित हो गया तथा उक्त के उपरान्त कर्मी दिनांक 27.03.2024 को सरकारी कोरियर के माध्यम से वाहिनी मुख्यालय में आमद हुआ तथा कर्मी जी0डी0 इन्द्राज किये बिना पुनः दिनांक 28.03.2024 से कैम्प परिसर, 16वीं वाहिनी से अनुपस्थित चल रहा है।

2. आवागमन शिविर दिल्ली के ई-मेल संख्या-1150 दिनांक-15.02.2024 के तहत कर्मी की अनुपस्थिति रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिसके उपरान्त इस वाहिनी द्वारा ई-मेल संदेश संख्या 21526 दिनांक 19.02.2024 के तहत कर्मी के वेतन एवं भत्ते बन्द किए जाने हेतु उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय को अनुरोध किया गया साथ ही कर्मी के गृहनगर के पते पर कार्यालय ज्ञापन संख्या 1544 दिनांक 20.02.2024 के तहत पत्र भेजकर तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने हेतु निर्देशित किया गया जिसकी सूचना कर्मी की धर्मपत्नी श्रीमती मीनू को भी प्रेषित की गई।

3. कर्मी के अवकाश से अनुपस्थिति के कारण 16वीं वाहिनी, भा0ति0सी0 पुलिस बल के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1679-83 दिनांक 01.03.2024 के तहत कर्मी को पुनः तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने हेतु निर्देशित किया गया जिसकी सूचना कर्मी की धर्मपत्नी श्रीमती मीनू को भी प्रेषित की गई परन्तु कर्मी द्वारा न तो स्वयं अपनी आमद दी गई और न ही अपने अनुपस्थित रहने की कोई सूचना दी गई, इसके अतिरिक्त कर्मी के उत्तराधिकारी की ओर से भी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

4. 16वीं वाहिनी, भा0ति0सी0 पुलिस बल के पत्र संख्या-327-31 दिनांक-11.03.2024 के तहत पुलिस अधीक्षक, जिला-झज्जर(हरियाणा) से अनुरोध किया गया कि कर्मी को गिरफ्तार कर 16वीं वाहिनी, भा0ति0सी0 पुलिस बल के सुपुर्द करे, जिसकी प्रति कर्मी के गृहनगर के नजदीकी पुलिस स्टेशन-बेरी, जिला-झज्जर(हरियाणा), कर्मी के उत्तराधिकारी-श्रीमती मीनू (पत्नी) एवं ग्राम प्रधान, ग्राम/पोस्ट-धंदलान, पुलिस स्टेशन/तहसील-बेरी, जिला-झज्जर (हरियाणा) को भी दी गई परन्तु न तो पुलिस अधीक्षक से एवं न ही किसी अन्य से अभी तक कोई भी सूचना इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

5. शिविरपाल शाखा के अन्तर कार्यालय टिप्पणी संख्या 217 दिनांक 28.03.2024 के तहत अवगत करवाया गया कि कर्मी दिनांक 27.03.2024 को सरकारी कोरियर से वाहिनी में आमद हुआ था, उसके उपरान्त कर्मी दिनांक 28.03.2024 को 1030 बजे जवान लाईन से अनुपस्थित है। जिसके उपरान्त 16वीं वाहिनी, भा0ति0सी0 पुलिस बल के पत्र संख्या-421-23 दिनांक-30.03.2024 के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला-लेह, लद्दाख यू0टी0 से कर्मी की अनुपस्थिति रिपोर्ट दर्ज करने एवं कर्मी को गिरफ्तार कर 16वीं वाहिनी, भा0ति0सी0 पुलिस बल के सुपुर्द करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला-लेह, लद्दाख यू0टी0 के पत्र संख्या 7682-84 दिनांक 02.04.2024 के तहत Station House Officer को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।

6. 16वीं वाहिनी, भा0ति0सी0 पुलिस बल के पत्र संख्या-3291-94 दिनांक-30.03.2024 के तहत ग्राम प्रधान, ग्राम/पोस्ट-धंदलान, पुलिस स्टेशन/तहसील-बेरी, जिला-झज्जर (हरियाणा) को भी कर्मी को पुनः तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करवाने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी सूचना कर्मी की धर्मपत्नी श्रीमती मीनू एवं कर्मी के पिताजी श्री ओमप्रकाश को भी प्रेषित की गई। इसके उपरान्त 16वीं वाहिनी, भा0ति0सी0 पुलिस बल के पत्र संख्या-3584-87 दिनांक-09.04.2024 के तहत कर्मी को पुनः तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने हेतु निर्देशित किया गया जिसकी सूचना कर्मी की धर्मपत्नी श्रीमती मीनू, पिताजी श्री ओमप्रकाश एवं ग्राम प्रधान, ग्राम/पोस्ट-धंदलान, पुलिस स्टेशन/तहसील-बेरी, जिला-झज्जर (हरियाणा) को भी प्रेषित की गई परन्तु कर्मी द्वारा न तो स्वयं अपनी आमद दी गई और न ही अपने अनुपस्थित रहने की कोई सूचना दी गई, इसके अतिरिक्त कर्मी के उत्तराधिकारी की ओर से भी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

लगातार.....2/



16वीं वाहिनी, भा0ति0सी0 पुलिस बल के पत्र संख्या-544-48 दिनांक-29.04.2024 के तहत पुलिस अधीक्षक, झज्जर(हरियाणा) से अनुरोध किया गया कि कर्मी को गिरफ्तार कर 16वीं वाहिनी, भा0ति0सी0 पुलिस बल के सुपुर्द करें, जिसकी प्रति कर्मी के गृहनगर के नजदीकी पुलिस स्टेशन-बेरी, जिला-झज्जर(हरियाणा), कर्मी के उत्तराधिकारी-श्रीमती मीनू (पत्नी) एवं ग्राम प्रधान, ग्राम/पोस्ट-धंदलान, पुलिस स्टेशन/तहसील-बेरी, जिला-झज्जर (हरियाणा) को भी दी गई। जिसके प्रतिउत्तर में पुलिस स्टेशन-दुजाना की रिपोर्ट के तहत पुलिस उपायुक्त, जिला-झज्जर (हरियाणा) के पत्र संख्या 4107/RO दिनांक 21.06.2024 के अनुसार आपके द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि आपकी माताजी श्रीमती मुकेश देवी का एम्स अस्पताल दिल्ली में माईग्रेन का ईलाज चल रहा है इस कारण आप समय पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सके। जिसके उपरान्त 16वीं वाहिनी, भा0ति0सी0 पुलिस बल के कार्यालय ज्ञापन संख्या-4979-83 दिनांक 09.07.2024 के तहत कर्मी को उक्त कार्यालय ज्ञापन जारी होने के 15 दिन अन्दर पुनः तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने हेतु निर्देशित किया गया जिसकी सूचना कर्मी की धर्मपत्नी श्रीमती मीनू, पिताजी श्री ओमप्रकाश एवं ग्राम प्रधान ग्राम/पोस्ट-धंदलान, पुलिस स्टेशन/तहसील-बेरी, जिला-झज्जर (हरियाणा) को भी प्रेषित की गई परन्तु कर्मी द्वारा न तो स्वयं अपनी आमद दी गई और न ही अपने अनुपस्थित रहने की कोई सूचना दी गई, इसके अतिरिक्त कर्मी के उत्तराधिकारी की ओर से भी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

8. कर्मी के बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनुपस्थित रहने के मद्देनजर भा.ति.सी.पु. बल अधिनियम 1992 की धारा 74(1) में निहित प्रावधानों के तहत कर्मी के अनुपस्थित रहने के कारणों का पता लगाने हेतु 16वीं वाहिनी के आदेश सं-3862-65 दिनांक-02.05.2024 के तहत न्यायिक जांच समिति का गठन किया गया। गवाहों के बयान, उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजों एवं न्यायिक जांच समिति के निष्कर्ष, राय एवं संस्तुति से यह स्पष्ट होता है कि दल संख्या-157030075 का.(टेलर) नितेश कुमार, "प्रबन्धक" समवाय के साथ लगातार पत्राचार करने अर्थात उसे पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् भी कर्मी द्वारा अभी तक आवागमन शिविर चण्डीगढ़ या वाहिनी मुख्यालय में आमद नहीं दी है जोकि व्यक्तिविशेष की अनुशासनहीनता को दर्शाता है तथा इससे यह भी प्रतीत होता है कि उक्त कर्मी भा.ति.सी.पुलिस बल में सेवा करने का इच्छुक नहीं है। कर्मी को आवंटित सरकारी वस्तुओं का सी0क्यू0एम0एच0 'ई' समवाय द्वारा सभी वस्तुओं का वर्गीकरण बोर्ड लगाया गया है जिसमें कर्मी के कम पाये जाने वाले सामान की कीमत रूपये 4160/- (रूपये चार हजार एक सौ साठ मात्र) को कर्मी के वाहिनी में शेष वेतन एवं भत्तो से कटौती कर सरकारी खजाने में जमा करने के आदेश पारित किए जाते हैं।

9. दल संख्या-157030075 का.(टेलर) नितेश कुमार, "प्रबन्धक" समवाय, 16वीं वाहिनी भा.ति.सी.पुलिस के बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवकाश से अनुपस्थित रहने के कारणों का पता लगाने हेतु 16वीं वाहिनी के आदेश संख्या-3862-65 दिनांक-02.05.2024 के तहत न्यायिक जांच समिति का गठन किया गया एवं न्यायिक जांच समिति के निष्कर्ष राय एवं संस्तुति तथा उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजों को मद्देनजर रखते हुए 16वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पु.बल के आदेश संख्या 4021-36 दिनांक 19.06.2024 के तहत दल संख्या-157030075 का.(टेलर) नितेश कुमार, "प्रबन्धक" समवाय, 16वीं वाहिनी को भा.ति.सी.पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा 74 (2) के तहत, उसकी अनुपस्थिति की तिथि अर्थात दिनांक 12.02.2024 (अप्राहान) से बल से "भगौड़ा" घोषित किया गया है।

10. अंतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि इस नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर अपनी आमद 16वीं वाहिनी भा0ति0सी0पु0 बल मुख्यालय, लेह(लद्दाख) में दें अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है और आप भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सेवा करने के इच्छुक नहीं है एवं तदनुसार उचित आदेश पारित कर दिए जायेंगे जिसमें आपको सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है।

सेवा में,

दल संख्या 157030075 कांस्टेबल (टेलर) नितेश,  
S/o-Sh. Omprakash, Village- Dhandlan,  
PO-Dhandlan, P.S-Beri, Distt-Jhajjar, State-Haryana

प्रतिलिपि:-

1. श्री ओमप्रकाश, पिता - दल संख्या 157030075 कांस्टेबल (टेलर) नितेश, S/o-Sh. Omprakash, Village-Dhandlan, PO-Dhandlan, P.S-Beri, Distt-Jhajjar, State-Haryana को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने पुत्र को इस नोटिस के मिलने के उपरांत 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट करने हेतु समझाने का कष्ट करें अन्यथा उक्त पैरा 10 के अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-झज्जर(हरियाणा)-124101

(चन्द्र मोहन मिश्रा)  
सेनानी

CBC19112/11/0118/2425

16वीं वाहिनी, भा0ति0सी0पु0 बल  
12/08/24